APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत S.D.O. मुकाम किशनगढ़ बास

मोतीलाल बनाम गोपाल

किस्म मुकदमा 111-126 नं. 54/2020 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.1.2021	प्रार्थना पत्र सीधे ~~से~~ बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली दि. 5.1.21 को पेश हो। [signature]	
5.1.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र स्वामित्व बाबत् नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। जिससे जाहिर होता है कि पत्थरगढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 111-128 रा. ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 84 / 2020 तारीख दायर : 01.01.2021

अनवान

1. मोती लाल पिता चुन्नी लाल जाति धाकड़ नि0 गुढा त0 बिजौलिया

.... प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल कृष्ण पिता बाल कृष्ण जाति जोशी नि0 मोकापाडा 20 कोटा जरिय मुनीम खाना पिता दोलदास जाति बैरागी नि0 गुढा त0 बिजौलिया
2. सीताराम पिता तुलसीराम जाति सुथार नि0 गुढा त0 बिजौलिया

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

— : आदेश : —

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री मोती लाल पिता चुन्नी लाल जाति धाकड़ नि0 गुढा ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि. मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम गूढा पटवार हल्का गूढा तहसील बिजौलियां में खाता न0 186 पर आराजी नं0 701 रकबा 5–02 बीघा भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहि पडता है।

अंतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम गूढा में खाता न0 186 पर आराजी नं0 701 रकबा 5–02 बीघा भूमि की बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner